इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024

खण्डों का क्रम

खण्डः

- 1. संक्षिप्त नाम।
- 2. धारा 38 का संशोधन।
- 3. धारा 39 का संशोधन।

इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2010 का अधिनियम संख्यांक 1) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

- 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम इण्डस इन्टरनेशनल संक्षिप्त नाम। विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024 है।
- 2. इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) धारा 38 का अधिनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 38 की उप—धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

10

15

- "(2) उप—धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी। सरकार ऐसी रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष रखवाएंगी।"।
- मूल अधिनियम की धारा 39 की उप—धारा (4) के अन्त में,— धारा 39 का संशोधन।
 "सरकार ऐसे लेखों और तुलनपत्र को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी", शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमानतः 16 प्राइवेट विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग के नियन्त्रणाधीन हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुसार स्थापित किए गए हैं। राज्य में स्थापित सभी प्राइवेट विश्वविद्यालयों में सम्पूर्ण निर्धारण वर्ष के लिए वित्तीय और अन्य सहबद्घ क्रियाकलापों के परीक्षण और पर्यवेक्षण से सम्बन्धित उपबंध हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदन के समक्ष सहबद्घ प्राइवेट विश्वविद्यालयों की अपनी—अपनी वार्षिक रिपोर्ट/ वार्षिक लेखे रखे जाने का कोई भी उपबन्ध नहीं है। अतः हिमाचल प्रदेश विधान सभा की अधीनस्थ विधायी समिति ने सम्बन्धित प्राइवेट विश्वविद्यालयों के अधिनियमों के सुसंगत उपबन्धों का संशोधन करने की सिफारिश की है।

इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय की स्थापना इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 को अधिनियमित कर की गई थी। अतः अधीनस्थ विधायी समिति की उक्त सिफारिशों के दृष्टिगत जो स्पष्ट रूप से उक्त विश्वविद्यालय के वित्तीय और सम्बद्ध क्रियाकलापों पर पर्यवेक्षण और पारदर्शिता लाने के लक्ष्य के लिए है, प्रस्तावित विधेयक वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिनियम की धारा 38 और 39 का संशोधन करने के लिए है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

)und Luy

रोहित ठाकुर) प्रभारी मंत्री।

शिमला :

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024

इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2010 का अधिनियम संख्यांक 1) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(रोहित ठाकुर) प्रभारी मंत्री।

(शरद कुमार लगवाल) सचिव (विधि)।

शिमलाः

तारीखः 2024.

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्माव्य प्रमावित होने वाले इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2010 का अधिनियम संख्यांक 1) के उपबन्धों के उद्धरण।

धाराएं:

- 38. वार्षिक रिपोर्ट.—(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंध बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ—साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए कदम सम्मिलित होंगे और वह शासी निकाय द्वारा अनुमोदित की जाएगी तथा इसकी प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।
- (2) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी।
- 39. वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा.—(1) विश्वविद्यालय के तुलन—पत्र सिहत, वार्षिक लेखे, प्रबंध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और वार्षिक लेखे विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार संपरीक्षित किए जाएंगे।
- (2) लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखे की एक प्रति, शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।
- (3) शासी निकाय के संप्रेक्षणों सिहत वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति, प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।
- (4) उपधारा (1) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखों और तुलनपत्र की प्रतियां, विनियामक आयोग और सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी।
- (5) विश्वविद्यालय के लेखों और लेखापरीक्षा रिपोर्ट से उद्भूत विनियामक आयोग और सरकार का परामर्श, यदि कोई हो, शासी निकाय के समक्ष रखी जाएगी और शासी निकाय ऐसे निदेश जारी करेगा, जैसे वह उचित समझे तथा उसकी अनुपालना के बारे में सरकार को रिपोर्ट की जाएगी।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 17 OF 2024

THE INDUS INTERNATIONAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2024

(As Introduced in the Legislative Assembly)

THE INDUS INTERNATIONAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2024

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

- 1. Short title.
- 2. Amendment of section 38.
- 3. Amendment of section 39.

THE INDUS INTERNATIONAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2024

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

further to amend the Indus International University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 1 of 2010).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy- fifth Year of the Republic of India as follows:—

- 1. This Act may be called the Indus International University Short title. (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2024.
- 2. In section 38 of the Indus International University Amendment (Establishment and Regulation) Act, 2009 (hereinafter referred to as of section 38. the "principal Act") for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—
 - "(2) Copies of annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government. The Government shall cause such report to be laid before the Legislative Assembly.".

10

3. In section 39 of the principal Act, in sub-section (4), at Amendment the end, the words and sign "The Government shall cause such of section 39. accounts and balance sheet to be laid before the Legislative Assembly." shall be added.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Presently, there are 16 Private Universities under the control of Education Department which are established by the UGC Act, 1956. All the private Universities established in the State have the provision relating to checking and supervision of financial and related activities thereto for entire years assessment. Further, there is no provision to lay down the annual report and account of the respective private Universities in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha. It has, therefore, been recommended by the Subordinate Legislative Committee of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha to amend the relevant provision of the respective Private Universities Act.

The Indus University was established by making the Indus International University (Establishment and Regulation) Act, 2009. Thus keeping in view the said recommendations of the Subordinate Legislative Committee, which apparently aim at to bring proper supervision and transparency of the finances or allied activities of the said University, the proposed Bill seeks to amend section 38 and 39 of the Act *ibid*. to achieve the desired objectives.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(ROHIT THAKUR)

Minister-in-Charge

SHIMLA:

The.....2024.

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

THE INDUS INTERNATIONAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2024

A

BILL

further to amend the Indus International University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 1 of 2010).

(ROHIT THAKUR)

Minister-in-Charge.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)

Secretary (Law):

SHIMLA:

The.....2024.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE INDUS INTERNATIONAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) ACT, 2009 (ACT NO. 1 of 2010) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL.

Sections:

- 38. Annual report.—(1) The annual report of the University shall be prepared by the Board of Management which shall include among other matters, the steps taken by the University towards the fulfillment of its objects and shall be approved by the Governing Body and copy of the same shall be submitted to the sponsoring body.
- (2) Copies of the annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government.
- **39.** Annual accounts and audit.—(1) The annual accounts including balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Board of Management and the annual accounts shall be audited at least once in every year by the auditors appointed by the University for this purpose.
- (2) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be submitted to the Governing Body.
- (3) A copy of the annual accounts and audit report along with the observations of the Governing Body shall be submitted to the sponsoring body.
- (4) Copies of annual accounts and balance sheet prepared under sub-section (1) shall be presented to the Regulatory Commission and the Government.
- (5) The advice of the Regulatory Commission and the Government, if any, arising out of the accounts and audit report of the University shall be placed before the Governing Body and the Governing Body shall issue such directions, as it may deem fit and compliance thereof shall be reported to the Regulatory Commission and the Government.

34 wy 1861

Higher and Elementary Education

Minister, Himachal Pradesh